न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/266

01. मदनलाल पुत्र मानाराम, जाति जाट, निवासी मझाउ, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

01. विधाधर सिंह पुत्र रामेश्वर, जाति जाट, निवासी मझाउ, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री सत्यवीर सिंह एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।**

निर्णय

दिनांकः 22.02.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना कतई गलत मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि पटवारी हल्का की तथाकथित रिपोर्ट गलत रूप से तथ्यों को तोड़ मरोड़कर मनगढन्त रूप से तैयार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मौका कमिश्नर की रिपोर्ट भी प्राप्त नही की, रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 153 में आवेदक ने अपना मकान बना होना की बात कही है जबकि आवेदक प्रतिवादी संख्या एक का मकान खसरा नम्बर 153 में बना हुआ है जो कि मुख्य सड़क से लगता हुआ है। विवादित क्षेत्र से उसका कोई लेना–देना नही है, जो पगडन्डी बतायी गयी थी वह खसरा नम्बर 78 में बसे लोगों के लिये थी, जब नये खसरा नम्बर बन गये तो सभी लोग अपने–अपने खसरा नम्बर पर घर बना लिये इसलिये वह पगडन्डी विलोपित हो गयी सभी के मकान मुख्य सड़क से लगे हुए है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रथम सेटलमेन्ट में कोई रास्ता नही दर्शाया गया है जबकि द्वितीय सेटलमेन्ट में सही नक्शा दर्शाया गया है, विवादित आदेश के परिपेक्ष्य में देखे तो खसरा नम्बर 155 में से कोई रास्ता नही रहा है अपीलार्थी की भूमि में काश्त करने में व्यवधान पैदा करने की नियत से विवादित आदेश प्राप्त किया गया जो काबिले खारिज होने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह तथ्य अंकित किये थे कि प्रस्तुत आवेदन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत परस्परित सहमति व अधुरी पगडन्डी का रास्ता बताकर दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अधिकारिता के जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह किसी भी सूरत में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आता है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम मझाउ तहसीलदार उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 155 की उत्तरी दिशा से खसरा नम्बर 153, 152, 150, 149 की तरफ उत्तर दिशा में रास्ता है जबकि खसरा नम्बर 155 के काश्तकारी के किये उपयोग करते है। खसरा नम्बर 155 के दक्षिण में भी रास्ता लगता है अर्थात खसरा नम्बर 155 के उत्तरी दिशा व दक्षिण दिशा दोनों पर रास्ता लगता है, खसरा नम्बर 155 के मध्य से कभी कोई रास्ता नही रहा है तथा ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है इस प्रकार पटवार हल्का ने मौके पर वास्तविक स्थिति का अवलोकन नही कर केवल मात्र आवेदक को गलत लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य खसरा नम्बरान के मालिकान को बाद में जल्दीबाजी में नोटिस देकर पार्टी बनाया और उनको इस बात का पता भी नही चलने दिया, इस प्रकार सभी काश्तकारों के बयान लेने का अवसर देते हुए सुनायी का मौका दिये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सही एवं वास्तवित तथ्यों के आधार पर मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति अनुसार पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई खामी या त्रुटी नही है बल्कि अपीलान्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रारम्भ से ही निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम मझाउ में स्थिति कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 78 प्रथम सैटलमेन्ट 1936 से 1937 के अनुसार रास्ता बना हुआ है जो वर्तमान में भी चालू है जिसके नये खसरा नम्बर 155 बने है, जो सम्वत् 1979 से 1980 में राजस्व रिकार्ड में सिंगल डोटेड से दर्शाया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि उक्त रास्ता कदीमी से लगभग 50 वर्षो से उपयोग–उपभोग में काम में आता रहा है और वर्तमान में भी रास्ते के उपयोग–उपभोग में काम में आ रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वर्तमान नक्शें में उक्त पुराने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में सहवन से लिखना रह गया था जो रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2021 द्वारा दुरूस्त करवा लिया है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त आदेश की पालना भी की जा चुकी है और उक्त रास्ता मौके पर चालू होकर आम जनता के उपयोग–उपभोग के काम में आ रहा है और विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त भी है कि आवाजाही के रास्तों को कभी भी बन्द नही किया जा सकता बल्कि राज्य सरकार व न्यायालयों के आदेशों की पालना में प्रशासन गांवों के संग अभियानों में पुराने बन्द रास्तों का चालू करने बाबत निर्देशित किया हुआ है। अतः अपीलान्ट द्वारा दुर्भावनावंश प्रस्तुत की गई उक्त अपील खारिज योग्य होने से खारिज फ़रमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट दिनांक 12.01.2021 के अनुसार ग्राम मझाउ के मौके पर खसरा नम्बर 149, 150, 152, 153, व 155 में मौके पर रास्ता है तथा आवागमन में कोई बाधा नही है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरानों में वर्तमान में नक्शा लट्ठा में रास्ता कटानशुदा नही है परन्तु प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1936–36 के नक्शा सीट में उपरोक्त खसरा नम्बरान में डोटेड रास्ता था जो कि वर्ममान में भी मौके पर चालू है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश की राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते को विलोपित किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के द्वारा दुरूस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर